राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

क्रमांकः– 12189 जयपुर, दिनांकः 25-05-2016

अधिसूचना

औद्योगिक नीति एवं सवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा बिजनेस रिफोर्मस प्लान 2016 के अन्तर्गत बिन्दू सं. 246 के अनुसार मध्यम श्रेणी के जोखिम वाले उद्योगों/स्थापनों (Medium Risk Industries) के लिए समस्त श्रम कानूनों में अन्य पक्ष प्रमाण (Third Party Certification) की सुविधा को लागू करने का परामर्श दिया गया है।

व्यापक विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया जाता है कि ऐसे उद्योग/स्थापन यदि केन्द्रीय श्रम संगठनों (सीटू, बी.एम.एस., इंटक, एटक, एच.एम.एस.व आर.सीटू) से एक प्रतिनिधि तथा नियोजक संगठनों (एम्पलॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्डस्ट्रीज, व लघू उद्योग भारती) से एक प्रतिनिधि का चयन कर इन दो व्यक्तियों से श्रम अधिनियमों की अनुपालना का अंकेक्षण करा कर प्रत्येक वर्ष 30 जून तक अपने क्षेत्राधिकार के निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करते है तो उन्हें दैनन्दिन निरीक्षण की प्रक्रिया से मुक्त रखा जायेगा।

25-05-2016

श्रम आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर।

कमांकः– जयपुर, दिनांकः

1. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी, ... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. अध्यक्ष, एम्लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान/राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज/ लघु उद्योग भारती, जयपुर ।
4. प्रदेश अध्यक्ष/महामंत्री, सीटू/बी.एम.एस./ इंटक/एटक/एच.एम.एस./आर.सीटू, जयपुर।

अति0 श्रम आयुक्त(आई.आर.)
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

एफ1(8)(1)ईओडीबी/आईआर/श्रम/2016/17053 जयपुर, दिनांकः–27-10-2017

अधिसूचना

इस कार्यालय की पूर्व अधिसूचना दिनांक 25.05.2016 के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिसूचना निम्न श्रम कानूनो में अन्य पक्ष प्रमाण पत्र(Third Party Certification) की सूविधा पर मान्य है:–

1. वेतन भुगतान अधिनियम, 1936
2. न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
3. कार्यकारी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कामगार(सेवा की शर्ते) एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1955
4. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958
5. मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961
6. मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961
7. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
8. बीड़ी एवं सिगार कामगार(नियोजन की शर्ते), अधिनियम, 1966
9. ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970
10. उपदान भुगतान अधिनियम, 1972
11. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
12. विक्रय बढोतरी कामगार(सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1976
13. केन्द्रीय अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार(नियोजन, विनियमन एवं सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1979
14. बाल एवं किशोर श्रम(प्रतिषेध एवं विनियम) अधिनियम, 1986
15. भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक(नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996

(सी.बी.एस. राठौड़)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त
एवं संयुक्त शासन सचिव,
राजस्थान, जयपुर